XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – सीहोर

प्रकरण क्रमांक निग0 2101–दो / 14

...न तथा ...ांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुने जाने के उपरांत आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है तथा प्रकरण अनावेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

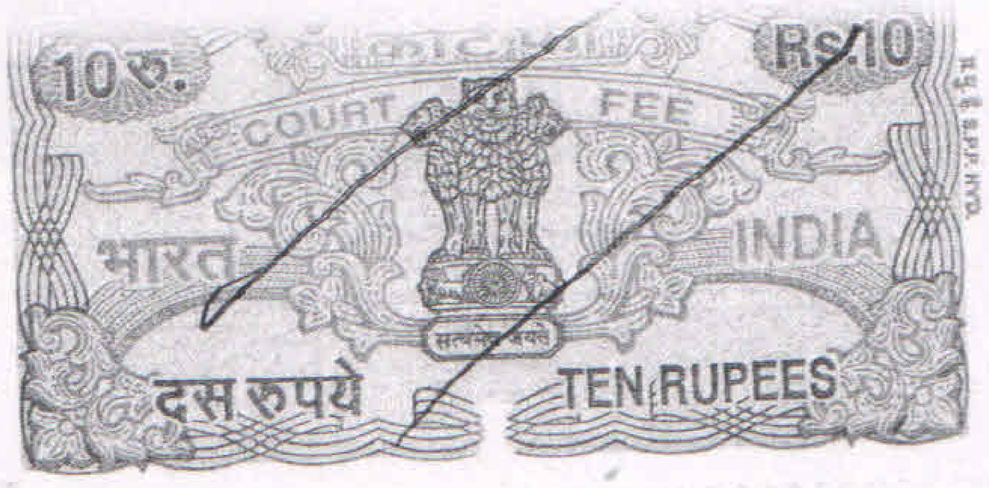

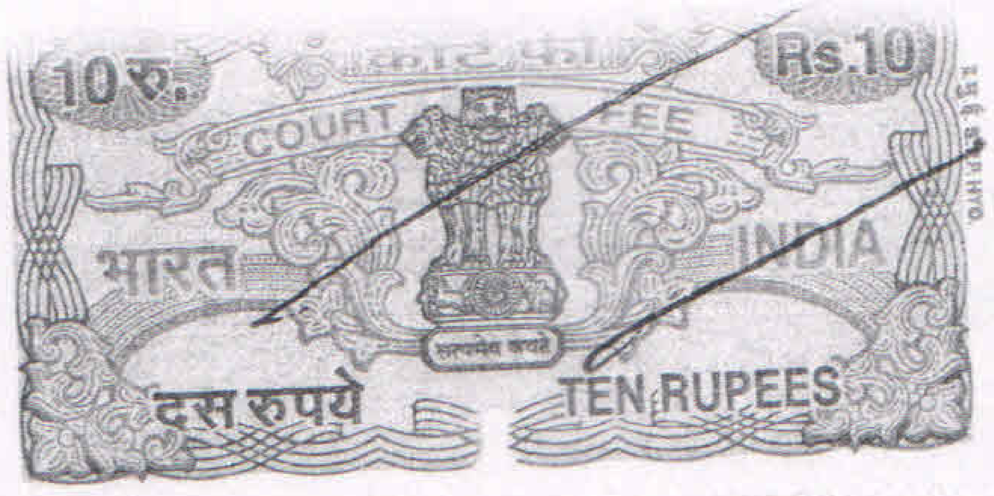

रु.20 टिकिट लगे

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य म.प्र. ~~राजस्व~~ राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट केम्प) भोपाल

~~न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0~~

R - 2101 - II / 14

श्रीमति सुमन बाई पत्नि श्री मदनलाल आयु 45 वर्ष
जाति खाती निवासी व कृषक ग्राम कालापीपल
तहसील इछावर जिला–सीहोर म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. पुष्पा बाई बेवा धनपाल
2. संजय 3. कैलाश 4. कमल 5. सचिन
6. सोनू सभी वयस्क पुत्रगण धनपाल
निवासीगण 312 रफोली कॉलोनी परदेसीपुरा
इन्दौर म.प्र. .... प्रतिनिगरानीकर्ता

27-6-14
27-6-14